



JCMS: 2020/00145

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर
खुशाल सिंगला वगैरा बनाम अंकुश कटारिया वगैरा
विविध प्रकरण सं० ०२/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर वं तारीख
14.10.2020	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाद पेश हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने बहस में कथन किया कि अवैद्य निर्माण को रूकवाये जाने हेतु माननीय न्यायालय को अन्तर्गत धारा 317(1)(2)'क' 'ड' राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत सुनने का क्षेत्राधिकार है। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अवैद्य निर्माण रूकवाया जावें।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ़तर की जावें।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	

amp
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर